



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 688]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 17, 2016/फाल्गुन 27, 1937

No. 688]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 17, 2016/PHALGUNA 27, 1937

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय****अधिसूचना**

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2016

**का.आ. 1150(अ).**—निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है; ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा ।

**प्रारूप अधिसूचना**

पेंच राष्ट्रीय उद्यान और मानसिंगदेव वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र के नागपुर जिले में स्थित है और 21° 26' 00" से 21° 40' 50" उत्तरी अक्षांश के बीच और 79° 00' 25" से 79° 26' 10" पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है और 442.29 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है ;

और, पेंच राष्ट्रीय उद्यान और मानसिंगदेव वन्यजीव अभयारण्य दो राज्यों के जंक्शन, अर्थात्-महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, में सतपुडा और अम्बागढ़ की पहाड़ियों के दक्षिणी सीमा पर स्थित है;

और, यह क्षेत्र में समृद्ध वनस्पति और जीवजन्तु है जिसमें बाघ, तेंदुआ, लकड़बग्घा, जंगली कुत्ता, सियार, भेड़िया, तेंदुआ बिल्ली, वनबिलाव, नीलगाय, सांभर, चीतल, मुंजक, बनैला सूअर, रीछ, लंगूर आदि सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र की वनस्पति में टीक सर्वाधिक रूप से अपने सामान्य संबंध में पाये जाने वाली प्रजातियों जैसे टेरमिनालिया टोमेन्टोसा, टेरमिनालिया वेलेरिका, लगेरस्ट्रोमा परवीफ्लोरा, अनोगेईसस् लटिफोलिया, सागौन आदि हैं;

और, पेंच राष्ट्रीय उद्यान और मानसिंगदेव वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र राज्य में पेंच राष्ट्रीय उद्यान और मानसिंगदेव वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 9.5 किलोमीटर की सीमा तक के क्षेत्र को पेंच राष्ट्रीय उद्यान और मानसिंगदेव वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इससे इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**—(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन महाराष्ट्र राज्य में पेंच राष्ट्रीय उद्यान और मानसिंगदेव वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 9.5 किलोमीटर तक फैला हुआ है जिसका विस्तार 441.42 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है, मध्य प्रदेश के साथ लगती हुई अंतरराज्यीय सीमा वाले हिस्से के सिवाय, ऐसे जोन की सीमा का वर्णन **उपाबंध I** के रूप में दिया गया है।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन महाराष्ट्र के नागपुर जिले में 63 ग्रामों में फैला हुआ है।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची प्रमुख बिन्दुओं के निर्देशांकों के साथ **उपाबंध II** के रूप में संलग्न है।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र अक्षांश और देशांतर के साथ **उपाबंध III** के रूप में संलग्न है।

2. **पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना** — (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) आंचलिक महायोजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी।

(3) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस तरह, इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।

(4) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण ;

(ii) वन ;

(iii) शहरी विकास ;

(iv) पर्यटन ;

(v) नगरपालिक ;

(vi) राजस्व ;

(vii) कृषि ;

(viii) महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ;

(ix) सिंचाई ;

(x) लोक निर्माण विभाग

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्वंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(6) पंच व्याघ्र परियोजना का मध्यवर्ती जोन पारिस्थितिक संवेदी जोन का भागरूप होगा, आंचलिक महायोजना को तैयार करने के दौरान मध्यवर्ती जोन व्याघ्र संरक्षण योजना को भी विचार में लिया जाएगा ।

(7) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(8) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी ।

(9) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए, पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास के लिए विनियमित करेगी ।

**3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :-

(1) **भू-उपयोग** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन क्रम सं0 10, 16, 22, 28 और 31 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए पारिस्थितिक अनुकूल कुटीर जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि ;

(ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और सुदृढ़ करना ;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) वर्षा जल संचय; और

(v) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि हैं :

परंतु यह और कि जनजातीय भूमि का उपयोग राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 का तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों** -- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे।

(3) **पर्यटन** – (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे जो कि आंचलिक महायोजना के भाग रूप में होगी।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, महाराष्ट्र सरकार द्वारा राजस्व और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(ii) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे। परंतु, जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार एक किलोमीटर से ज्यादा है वहाँ, एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार होगा।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट स्वीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया होगा।

(4) **नैसर्गिक विरासत** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।

(8) **बहिस्त्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सारण, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट** -- ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;
- स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्करण के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;
- जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;
- अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.आ.630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(11) **यानीय परिवहन** - परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(12) **औद्योगिक इकाइयां** - (क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों के सिवाए नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(ख) जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योग की प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

**4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तद्विन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

#### सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
1	2	3
<b>प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप</b>		
(1)	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन, उनको तोड़ने की इकाइयां।	(क) सभी नए एवं विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या

		ईटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।
(2)	आरा मीलों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मीलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
(3)	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले उद्योग का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
(4)	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(5)	नए बृहत जल विद्युत परियोजना और सिंचाई परियोजना की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(6)	खतरनाक पदार्थों का उपयोग या उत्पादन	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(7)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्वाह और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(8)	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे वायुयान, गर्म वायु गुब्बारों का राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के ऊपर से उड़ना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(9)	नए काष्ठ आधारित उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ; परंतु नई लकड़ी आधारित उद्योग 100% आयातित लकड़ी भण्डार का उपयोग कर पारिस्थितिक संवेदी जोन में स्थापित किया जाएगा । परंतु विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग लागू विधि के अनुसार निरंतर बने रहेंगे ;
<b>विनियमित क्रियाकलाप</b>		
(10)	होटलों और रिसोर्टों की स्थापना।	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे। परंतु, जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार एक किलोमीटर से ज्यादा है वहाँ, एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार होगा।
(11)	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें जो भी निकट है, के भीतर किसी भी प्रकार का नया वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा ; परंतु स्थानीय व्यक्तियों को अपने आवासीय उपयोग, जिसके अंतर्गत पैरा 3 के उपपैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, के लिए अपनी भूमि पर संनिर्माण करने की अनुमति होगी । (ख) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप

		नियम या विनियम, यदि कोई लागू हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् अनुज्ञात होंगे। (ग) परन्तु, जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार एक किलोमीटर से ज्यादा है तो वहाँ, एक किलोमीटर के पश्चात् और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक स्थानीय व्यक्तियों की सद्भावी आवश्यकता के लिए संनिर्माण अनुज्ञात होगा तथा अन्य वाणिज्यिक संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुरूप होंगे।
(12)	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किन्हीं वृक्षों की कटाई नहीं होगी; (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केन्द्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होंगे।
(13)	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है।	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए सतही जल और भूमिगत जल निष्कर्षण अनुज्ञात होगा। (ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण करेगा, भी है। (ग) सतही जल या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा। (घ) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे।
(14)	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण।	भूमिगत केबलों को प्रोत्साहन देना।
(15)	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(16)	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना।	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे।
(17)	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
(18)	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(19)	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(20)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्वाह का निस्सारण।	उपचारित बहिर्वाह के पुनचक्रण को प्रोत्साहित करना और अबमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा।
(21)	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(22)	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात किए जाएंगे।
(23)	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(24)	वायु और यानीय प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(25)	दुकानदारों द्वारा पोलिथीन थैलों	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।

	का उपयोग।	
(26)	कृषि प्रणाली में प्रबल बदलाव।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
<b>संबन्धित क्रियाकलाप</b>		
(27)	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि, जल कृषि और मछली पालन A	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
(28)	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए।
(29)	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए।
(30)	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए।
(31)	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए।
(32)	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग।	बायोगैस, सौर रोशनी आदि को बढ़ावा दिया जाए।

**5. मानीटरी समिति -** (1) केंद्रीय सरकार पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

- (क) कलेक्टर, नागपुर – अध्यक्ष;
- (ख) पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि – सदस्य;
- (ग) क्षेत्रीय अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड – सदस्य;
- (घ) क्षेत्र का ज्येष्ठ नगर योजनाकार – सदस्य;
- (ङ) राजस्व विभाग, महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधि – सदस्य;
- (च) सिंचाई विभाग, महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधि - सदस्य ;
- (छ) लोक निर्माण विभाग, महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधि – सदस्य;
- (ज) मुख्य वन संरक्षक और क्षेत्रीय निदेशक, पेंच व्याघ्र परियोजना नागपुर का प्रतिनिधि – सदस्य;
- (झ) महाराष्ट्र सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र का एक विशेषज्ञ – सदस्य;
- (ञ) उप वन संरक्षक (टी) नागपुर प्रभाग – सदस्य-सचिव।

## 6. निर्देश निबंधन

- (1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।
- (2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 सारणी में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।



(3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित कलक्टर या संबंधित उद्यान के उप-वन संरक्षक, कोई व्यक्ति जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, उसके विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(5) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधि प्रति मुद्दे की अपेक्षाओं के अनुसार विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध IV** पर उपाबद्ध प्रारूप पर 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे।

[फा. सं. 25/205/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

**उपाबंध।**

### पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का वर्णन

**उत्तर :-** मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की अंतर-राज्य सीमा (नागपुर प्रभाग सीमा) (कूप सं. की बाहरी सीमा 706, 705, 703, 1217 (घाटकुकडा), 694, 691, 690, 689, 1227 (घाटपेंधरी), 677, 676, 675, 674, 537, 530, 528, 527, 524, 523, 522, 521, 519, 518, 517, 511, 510, 509, 500, 1274, (गारा, खुरसापर की ग्राम सीमा) 480,

**पूर्व:-** कूप सं. 479, 482, 483, 488, 489, 1277 (वादाम्बा), 1264, (कमथी), 1266, 582, 583, 584, 586, 587, 420, 418 की बाहरी सीमा।

**दक्षिण:-** कूप सं. 410, 411, 1271 (भोंदावाडा, दोंगरी, खुमारी, बोरदा की ग्राम सीमा), 1248 (छतरपुर), 613, 1242, 1236, 1237 (भिवगाद), 616, 1220(सुवारधारा), 1223, 627, 628, 629, 632, 635, 633, 634 की बाहरी सीमा।

**पश्चिम:-** आरक्षित वनों की बाहरी सीमा कूप सं. 634, 635, 637, 638, 639, 648, 650, 651, 652, 653, 700, 702, 704, 705 एवं 706।


## उपाबंध II

## अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन में ग्रामों की सूची

क्र. सं.	तहसील	ग्राम के नाम	ग्राम या रिठी	अक्षांश	देशांतर
1	2	6	7	10	11
1	रामटेक	उसरीपर	ग्राम	उ-79 ° 20' 27.590"	पू-21 ° 37' 32.762"
2		खुरसापर	ग्राम	उ -79 ° 20' 06.289"	पू-20 ° 40' 31.478"
3		बनदरा	ग्राम	उ -79 ° 23' 06.301"	पू-21 ° 37' 57.453"
4		मानेगांव	ग्राम	उ -79 ° 25' 00.047"	पू-21 ° 41' 03.397"
5		गर्गा	ग्राम	उ -79 ° 23' 26.630"	पू-21 ° 39' 59.110"
6		कबडीखेडा	ग्राम	उ -79 ° 20' 27.490"	पू-21 ° 36' 49.975"
7		सवारा	ग्राम	उ -79 ° 21' 26.863"	पू-21 ° 37' 12.353"
8		कमथी	ग्राम	उ -79 ° 22' 00.623"	पू-21 ° 36' 18.083"
9		दोनगारतल	ग्राम	उ -79 ° 21' 00.890"	पू-21 ° 35' 44.933"
10		ज़िनज़रिया	ग्राम	उ-79 ° 20' 15.771"	पू-21 ° 35' 26.327"
11		खापा	ग्राम	उ-79 ° 18' 16.513"	पू-21 ° 35' 43.672"
12		सिल्लारी	ग्राम	उ-79 ° 17' 59.439"	पू-21 ° 34' 41.265"
13		पिपरिया	ग्राम	उ-79 ° 17' 48.496"	पू-21 ° 33' 52.476"
14		सलाई	ग्राम	उ-79 ° 17' 37.536"	पू-21 ° 32' 54.494"
15		चारगांव (परदेसी)	ग्राम	उ-79 ° 19' 31.262"	पू-21 ° 32' 03.889"
16		हिवारा (जंगली)	ग्राम	उ-79 ° 18' 06.913"	पू-21 ° 32' 06.583"
17		मौदी	ग्राम	उ -79 ° 19' 34.241"	पू-21 ° 31' 32.506"
18		नवेगांव	ग्राम	उ-79 ° 23' 49.819"	पू-21 ° 36' 39.384"
19		बदामबा	ग्राम	उ-79 ° 23' 20.253"	पू-21 ° 36' 10.613"
20		मोहगांव	रिठी	उ-79 ° 15' 38.692"	पू-21 ° 33' 37.479"
21		घोटी	ग्राम	उ-79 ° 16' 21.002"	पू-21 ° 33' 13.968"
22		साहपुर	ग्राम	उ-79 ° 17' 19.456"	पू-21 ° 31' 52.088"
23		दहोदा	ग्राम	उ-79 ° 16' 21.224"	पू-21 ° 32' 11.203"
24		तयापार	ग्राम	उ-79 ° 14' 41.638"	पू-21 ° 32' 19.598"
25		जमुनिया	ग्राम	उ-79 ° 15' 41.656"	पू-21 ° 32' 49.616"
26		पथराई	ग्राम	उ-79 ° 18' 10.874"	पू-21 ° 31' 16.182"
27		अमबाज़ारी	ग्राम	उ-79 ° 16' 59.031"	पू-21 ° 31' 00.778"
28		सररा	रिठी	उ-79 ° 23' 29.247"	पू-21 ° 39' 59.902"
29		चोरबहुली (वन)	ग्राम	उ-79 ° 19' 47.367"	पू-21 ° 28' 24.538"

30		चोरबहुली (मोगरा)	रिठी	उ-79 ° 20' 45.360"	पू-21 ° 27' 23.537"
31		भोदेवाडा	ग्राम	उ-79 ° 18' 53.688"	पू-21 ° 37' 02.864"
32		चोरखुमारी	ग्राम	उ-79 ° 19' 58.031"	पू-21 ° 27' 08.44"
33		दोंगरी	ग्राम	उ-79 ° 20' 22.333"	पू-21 ° 26' 34.699"
34		सरखा	ग्राम	उ-79 ° 15' 41.449"	पू-21 ° 27' 44.398"
35		बोरदा	ग्राम	उ-79 ° 16' 21.968"	पू-21 ° 26' 43.479"
36		खुमारी	ग्राम	उ-79 ° 17' 45.975"	पू-21 ° 27' 04.252"
37		छतरपुर	ग्राम	उ-79 ° 13' 58.433"	पू-21 ° 26' 54.472"
38		पल्लई	ग्राम		
39	<b>परसेओनी</b>	किरानगिसररा	ग्राम	उ-79 ° 11' 38.008"	पू-21 ° 32' 55.645"
40		बोरबान	रिठी	उ-79 ° 14' 04.344"	पू-21 ° 28' 19.261"
41		देओली	रिठी	उ-79 ° 11' 53.986"	पू-21 ° 28' 52.047"
42		बजरकुण्ड	रिठी	उ-79 ° 11' 08.485"	पू-21 ° 29' 15.773"
43		कोलीतमरा	ग्राम	उ-79 ° 10' 57.453"	पू-21 ° 33' 30.881"
44		कुकडा (पेंच)	ग्राम	उ-79 ° 09' 50.266"	पू-21 ° 31' 52.112"
45		महेकपार	ग्राम	उ-79 ° 10' 18.516"	पू-21 ° 32' 8.503"
46		सुरेरा	ग्राम	उ-79 ° 10' 39.161"	पू-21 ° 32' 44.174"
47		बनेरा	ग्राम	उ-79 ° 08' 24.822"	पू-21 ° 32' 05.040"
48	<b>परसेओनी</b>	नरहर	ग्राम	उ-79 ° 08' 34.792"	पू-21 ° 32' 56.429"
49		धवलपुर	ग्राम	उ-79 ° 06' 57.122"	पू-21 ° 33' 05.071"
50		सवानगी	ग्राम	उ-79 ° 07' 09.305"	पू-21 ° 32' 32.225"
51		घटकुकडा	ग्राम	उ-79 ° 04' 58.177"	पू-21 ° 36' 00.751"
52		अमबजारी	ग्राम	उ-79 ° 05' 49.149"	पू-21 ° 31' 40.165"
53		पथर	रिठी	उ-79 ° 04' 48.837"	पू-21 ° 30' 33.094"
54		परदी	ग्राम	उ-79 ° 06' 47.086"	पू-21 ° 30' 35.881"
55		गरगोटी	ग्राम	उ-79 ° 06' 05.19"	पू-21 ° 31' 22.996"
56		सलेघाट	ग्राम	उ-79 ° 02' 34.164"	पू-21 ° 31' 15.548"
57		सुवरधारा	ग्राम	उ-79 ° 07' 23.040"	पू-21 ° 28' 42.089"
58		सीलादेवी	ग्राम	उ-79 ° 08' 00.614"	पू-21 ° 30' 22.259"
59		चारगांव	ग्राम	उ-79 ° 08' 17.755"	पू-21 ° 28' 33.742"
60		मकरधोकडा	ग्राम	उ-79 ° 05' 29.551"	पू-21 ° 30' 11.294"
61		भिवगढ	सब मरगे	उ-79 ° 10' 28.171"	पू-21 ° 28' 26.481"
62		धटपेंदरी	ग्राम	उ-79 ° 09' 14.091"	पू-21 ° 38' 56.891"
63		सुरावाडी	ग्राम	उ-79 ° 07' 39.384"	पू-21 ° 29' 31.226"

पारिस्थितिक संवेदा जोन का अंक्षाश और देशांतर सहित मानचित्र



**पेंच राष्ट्रीय उद्यान और मनसिंगदेव वन्यजीव अभयारण्य के लिए पारिस्थितिक संवेदी**

पारिस्थितिक संवेदी जोन के जीपीएस निर्देशांक		
क्र. सं.	अक्षांश	देशांतर
1	उ-79°00'22.44"	पू-21° 36' 16.53"
2	उ-79°21'53.68"	पू-21° 40' 32.73"
3	उ-79° 25'07.37"	पू-21° 40'43.40"
4	उ-79°25'34.35"	पू-21° 35'53.60"
5	उ-79°21'07.88"	पू-21° 32'57.15"
6	उ-79° 19'27.86"	पू-21° 25'47.62"
7	उ-79° 11'21.85"	पू-21° 27'04.50"
8	उ-79°05'49.50"	पू-21° 27'28.50"
9	उ-79°59'30.55"	पू-21° 29'23.34"

वन्यजीव अभयारण्य के जीपीएस निर्देशांक		
क्र. सं.	अक्षांश	देशांतर
क	उ-79° 05'41.78"	पू-21° 36' 01.68"
ख	उ-79° 09'01.78"	पू-21° 39'36.53"
ग	उ-79° 13'58.40"	पू-21° 43'14.17"
घ	उ-79° 19'26.64"	पू-21° 41'02.96"
ङ.	उ-79° 22'48.63"	पू-21° 40'15.80"
च	उ-79° 23'03.65"	पू-21° 36'40.70"
छ	उ-79° 18'41.61"	पू-21° 36'02.74"
ज	उ-79° 13'45.82"	पू-21° 32'29.87"
झ	उ-79° 18'33.04"	पू-21° 29'36.27"
ञ	उ-79° 13'09.13"	पू-21° 27'13.53"
ट	उ-79° 11'22.11"	पू-21° 33'26.54"
ठ	उ-79° 06'16.32"	पू-21° 32'29.11"
ड	उ-79° 02'25.23"	पू-21° 28'56.24"

## उपाबंध IV

## पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति-की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान :

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है ।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश । ब्यौरों को उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. महत्ता का कोई अन्य विषय ।

## MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

## NOTIFICATION

New Delhi, the 17 March, 2016

**S.O. 1150(E).**—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at [esz-mef@nic.in](mailto:esz-mef@nic.in)

## Draft Notification

Whereas, the Pench National Park and the Mansingdeo Wildlife Sanctuary are situated in the Nagpur District of Maharashtra between North 21° 26' 00" to 21° 40' 50" latitude and between East 79° 00' 25" to 79° 26' 10" longitude and are spread over an area of 442.29 square kilometers;

And whereas, the Pench National Park and Mansingdeo Wildlife Sanctuary are located on the junction of the two States, viz., Maharashtra and Madhya Pradesh on the southern fringes of Satpuda hills and Ambagarh hills

And whereas, the area is rich in flora and fauna which includes Tiger, Leopard, Hyena, Wild Dog, Jackal, Fox, Leopard Cat, Jungle Cat, Nilgai, Sambhar, Chital, Barking Dear, Wild Pig, Sloth Bear, Langurs etc. The vegetation of the area has Teak as predominant species with common associates such as Terminalia tomentosa, Terminalia bellerica, Lagerstroemia parviflora, *Anogeissus latifolia* etc.;

And whereas, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the Pench National Park and Mansingdeo Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

Now Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent of up to 9.5 kilometers from the boundary of Pench National Park and Mansingdeo Wildlife Sanctuary in the state of Maharashtra as the Pench National Park and Mansingdeo Wildlife Sanctuary Eco-Sensitive zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

**1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.-** (1) The Eco-Sensitive Zone is spread over an area of 441.42 square kilometers with an extent of up to 9.5 kilometers from the boundary of the Pench National Park and Mansingdeo Wildlife Sanctuary in the state of Maharashtra except portion sharing the inter-state boundary with Madhya Pradesh. The boundary description of such Zone is given in **Annexure I**.

2. The Eco-sensitive Zone is spread across 63 villages in Nagpur district of Maharashtra.

(3) The list of the villages falling within the Eco-sensitive Zone along with co-ordinates of the prominent points is appended as **Annexure II**.

(4) The map of the Eco-sensitive Zone along with latitude and longitude is appended as **Annexure III**.

**2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.-**

(1) The State Government shall, for the purpose of effective management of the Eco-sensitive Zone, prepare a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The said Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

- (i) Environment,
- (ii) Forest,
- (iii) Urban Development,
- (iv) Tourism,
- (v) Municipal,
- (vi) Revenue,
- (vii) Agriculture,
- (viii) Maharashtra State Pollution Control Board,
- (ix) Irrigation,
- (x) Public Works Department,

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) As the buffer zone of the Pench Tiger Project is part of the Eco-sensitive Zone, the Tiger Conservation Plan relating to the buffer zone shall also be taken into consideration during the preparation of the Zonal Master Plan.

(7) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(8) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area such as parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(9) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure eco-friendly development for securing livelihood of local communities.

3. **Measures to be taken by State Government.**—The State Governments shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:—

(1) **Land use.** - Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 10, 16, 22, 28, and 31 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:—

- (i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities,
- (ii) widening and strengthening of existing roads,
- (iii) small scale industries not causing pollution,
- (iv) rainwater harvesting, and
- (v) cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural springs.**—The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.**— (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, Government of Maharashtra in consultation with Department of Revenue and Forests, Government of Maharashtra.

(c) The activity relating to tourism shall be as under, namely:—

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority, (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) No new commercial hotels and resorts shall be permitted, within one kilometer of the boundary of the Protected Area or the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities.

However, where Eco-sensitive Zone extends beyond one kilometer, then beyond one kilometer and up to the extent of the Eco-sensitive Zone, all new tourism activities or expansions of existing activities would be conformity with Tourism Master Plan and National Tiger Conservation Authority guidelines

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.



(4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made thereunder.

(7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974(6 of 1974) and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25<sup>th</sup> September 2000 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material shall be disposed of in an environmentally acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 630(E), dated the 20<sup>th</sup> July, 1998 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic. -** The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan till such time as the Zonal Master Plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Industrial units.-** (a) No establishment of new wood based industries within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted except the existing wood based industries set up as per the law.

(b) No establishment of any new industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the table below, namely:-

TABLE

S.No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
<b>Prohibited activities</b>		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) New and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for the domestic needs of <i>bona fide</i> local residents with reference to digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption.

		(b) The mining operations shall strictly be in accordance with the interim order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4 <sup>th</sup> August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated the 21 <sup>st</sup> April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
4.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Establishment of new major hydroelectric projects and irrigation projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the national park area by aircraft, hot-air balloons.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	New wood based industry.	Establishment of new wood based industry shall not be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided that new wood-based industry may be set up in the Eco-sensitive Zone using 100 percent. imported wood stock: Provided further that the existing wood based industry may continue as per law.
<b>Regulated activities</b>		
10.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted, within one kilometer of the boundary of the Protected Area or the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities. However, where Eco-sensitive Zone extends beyond one kilometer, then beyond one kilometer and up to the extent of the Eco-sensitive Zone, all new tourism activities or expansions of existing activities would be conformity with Tourism Master Plan and National Tiger Conservation Authority guidelines.
11.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted, within one kilometer of the boundary of the Protected Area or the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that local people shall be permitted to undertake construction in their land for residential use including the activities listed in sub- paragraph (1) of paragraph 3. (b) The construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be permitted as per applicable rules and regulations, if any, with the prior permission from the competent authority. (c) However, where Eco-sensitive Zone extends beyond one kilometer, then beyond one kilometer and up to the extent of Eco- sensitive Zone, construction for bona fide local needs shall be permitted and other commercial construction activities shall be in conformity with the Zonal Master Plan.
12.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
13.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for <i>bona fide</i> agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land;

		(b) extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned regulatory authority; (c) no sale of surface water or ground water shall be permitted; (d) steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
14.	Erection of electrical cables and telecommunication towers.	Promote underground cabling.
15.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
16.	Widening and strengthening of existing roads	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
17.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
18.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
19.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
20.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.
21.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
22.	Small scale industries not causing pollution.	Non-polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
23.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
24.	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
25.	Fencing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
26.	Use of polythene bags.	Regulated under applicable laws.
<b>Promoted activities</b>		
27.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws.
28.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
29.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
30.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
31.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
32.	Use of renewable energy sources.	Bio gas, solar light, etc. shall be promoted.

**5. Monitoring Committee.-** (1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following, namely:-

- (a) Collector, Nagpur - Chairman
- (b) a representative of Non-governmental Organizations working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Maharashtra for a term of one year in each case – Member
- (c) Regional Officer, Maharashtra State Pollution Control Board, - Member

- (d) Senior Town Planner of the area - Member
- (e) a representative of the Department of Revenue, Government of Maharashtra – Member
- (f) a representative of the Department of Irrigation, Government of Maharashtra – Member
- (g) a representative of the Public Works Department, Government of Maharashtra – Member
- (h) a representative of Chief Conservator of Forests and Field Director, Pench Tiger Project, Nagpur– Member
- (i) one expert in the area of ecology and environment from reputed Institution or University of the State to be nominated by the Government of Maharashtra for a term of one year in each case- Member
- (j) Deputy Conservator of Forests (T), Nagpur Division –Member Secretary.

**6. Terms of Reference.-** (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

- (2) The activities that are covered in the schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
  - (3) The activities that are not covered in the schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
  - (4) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned Park Deputy Conservator of Forests or the Field Director, Melghat Tiger Reserve shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
  - (5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
  - (6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31<sup>st</sup> March of every year by 30<sup>th</sup> June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro forma appended at **Annexure IV**.
  - (7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No.25/205/2015-ESZ-RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

#### **Annexure I**

#### **Boundary description of the proposed Eco-sensitive Zone**

**North :-** Inter-state boundary of Madhya Pradesh and Maharashtra (Nagpur division boundary) (Outer boundary of C.No. 706, 705, 703, 1217 (Ghatkukada), 694, 691, 690, 689, 1227(Ghatpendhri), 677, 676, 675, 674, 537, 530, 528, 527, 524, 523, 522, 521, 519, 518, 517, 511, 510, 509, 500, 1274, (Village boundary of Garra , Khursapar)480,

**East:-**Outer boundary of Comptt. No. 479, 482, 483, 488, 489, 1277 (Wadamba), 1264, (Kamthi), 1266, 582 , 583, 584, 586, 587, 420, 418.

**South :-** Outer boundary of C.No.410, 411, 1271 (Village boundary of Bhondewada, Dongri, khumari, Borda), 1248 (Chhatrapur), 613, 1242, 1236, 1237(Bhivgad), 616, 1220(Suwardhara), 1223, 627, 628, 629, 632, 635, 633, 634.

**West:-** Outer boundary of Reserve Forests C.No. 634, 635, 637, 638, 639, 648, 650, 651, 652, 653, 700, 702, 704, 705 & 706.

## Annexure II


## List of Village along with latitudes and longitudes

Sr. No.	Tahsil	Name of Village	Village or Rithi	Latitude	Longitude
1	2	6	7	10	11
1	Ramtek	Usaripar	Village	N-79 <sup>0</sup> 20' 27.590"	E-21 <sup>0</sup> 37' 32.762"
2		Khursapar	Village	N-79 <sup>0</sup> 20' 06.289"	E-20 <sup>0</sup> 40' 31.478"
3		Bandra	Village	N-79 <sup>0</sup> 23' 06.301"	E-21 <sup>0</sup> 37' 57.453"
4		Manegaon	Village	N-79 <sup>0</sup> 25' 00.047"	E-21 <sup>0</sup> 41' 03.397"
5		Garra	Village	N-79 <sup>0</sup> 23' 26.630"	E-21 <sup>0</sup> 39' 59.110"
6		Kadbikheda	Village	N-79 <sup>0</sup> 20' 27.490"	E-21 <sup>0</sup> 36' 49.975"
7		Sawara	Village	N-79 <sup>0</sup> 21' 26.863"	E-21 <sup>0</sup> 37' 12.353"
8		Kamathi	Village	N-79 <sup>0</sup> 22' 00.623"	E-21 <sup>0</sup> 36' 18.083"
9		Dongartal	Village	N-79 <sup>0</sup> 21' 00.890"	E-21 <sup>0</sup> 35' 44.933"
10		Zinzaria	Village	N-79 <sup>0</sup> 20' 15.771"	E-21 <sup>0</sup> 35' 26.327"
11		Khapa	Village	N-79 <sup>0</sup> 18' 16.513"	E-21 <sup>0</sup> 35' 43.672"
12		Sillari	Village	N-79 <sup>0</sup> 17' 59.439"	E-21 <sup>0</sup> 34' 41.265"
13		Pipariya	Village	N-79 <sup>0</sup> 17' 48.496"	E-21 <sup>0</sup> 33' 52.476"
14		Salai	Village	N-79 <sup>0</sup> 17' 37.536"	E-21 <sup>0</sup> 32' 54.494"
15		Chargaon (Pardesi)	Village	N-79 <sup>0</sup> 19' 31.262"	E-21 <sup>0</sup> 32' 03.889"
16		Hiwara (jungli)	Village	N-79 <sup>0</sup> 18' 06.913"	E-21 <sup>0</sup> 32' 06.583"
17		Maudi	Village	N-79 <sup>0</sup> 19' 34.241"	E-21 <sup>0</sup> 31' 32.506"
18		Navegaon	Village	N-79 <sup>0</sup> 23' 49.819"	E-21 <sup>0</sup> 36' 39.384"
19		Wadamba	Village	N-79 <sup>0</sup> 23' 20.253"	E-21 <sup>0</sup> 36' 10.613"
20		Mohgaon	Rithi	N-79 <sup>0</sup> 15' 38.692"	E-21 <sup>0</sup> 33' 37.479"
21		Ghoti	Village	N-79 <sup>0</sup> 16' 21.002"	E-21 <sup>0</sup> 33' 13.968"
22		Sahapur	Village	N-79 <sup>0</sup> 17' 19.456"	E-21 <sup>0</sup> 31' 52.088"
23		Dahoda	Village	N-79 <sup>0</sup> 16' 21.224"	E-21 <sup>0</sup> 32' 11.203"
24		Tuyapar	Village	N-79 <sup>0</sup> 14' 41.638"	E-21 <sup>0</sup> 32' 19.598"
25		Jamuniya	Village	N-79 <sup>0</sup> 15' 41.656"	E-21 <sup>0</sup> 32' 49.616"
26		Patharai	Village	N-79 <sup>0</sup> 18' 10.874"	E-21 <sup>0</sup> 31' 16.182"
27		Ambazari	Village	N-79 <sup>0</sup> 16' 59.031"	E-21 <sup>0</sup> 31' 00.778"
28		Sarra	Rithi	N-79 <sup>0</sup> 23' 29.247"	E-21 <sup>0</sup> 39' 59.902"
29		Chorbahuli (Van)	Village	N-79 <sup>0</sup> 19' 47.367"	E-21 <sup>0</sup> 28' 24.538"
30		Chorbahuli (Mogra)	Rithi	N-79 <sup>0</sup> 20' 45.360"	E-21 <sup>0</sup> 27' 23.537"
31		Bhodewada	Village	N-79 <sup>0</sup> 18' 53.688"	E-21 <sup>0</sup> 37' 02.864"
32		Chorkhumari	Village	N-79 <sup>0</sup> 19' 58.031"	E-21 <sup>0</sup> 27' 08.44"
33		Dongari	Village	N-79 <sup>0</sup> 20' 22.333"	E-21 <sup>0</sup> 26' 34.699"
34		Sarakha	Village	N-79 <sup>0</sup> 15' 41.449"	E-21 <sup>0</sup> 27' 44.398"
35		Borda	Village	N-79 <sup>0</sup> 16' 21.968"	E-21 <sup>0</sup> 26' 43.479"
36		Khumari	Village	N-79 <sup>0</sup> 17' 45.975"	E-21 <sup>0</sup> 27' 04.252"
37		Chhatrapur	Village	N-79 <sup>0</sup> 13' 58.433"	E-21 <sup>0</sup> 26' 54.472"
38		Palli	Village		
39	Parseoni	Kirangisarra	Village	N-79 <sup>0</sup> 11' 38.008"	E-21 <sup>0</sup> 32' 55.645"
40		Borban	Rithi	N-79 <sup>0</sup> 14' 04.344"	E-21 <sup>0</sup> 28' 19.261"
41		Deoli	Rithi	N-79 <sup>0</sup> 11' 53.986"	E-21 <sup>0</sup> 28' 52.047"

42		Bajarkund	Rithi	N-79° 11' 08.485"	E-21° 29' 15.773"
43		Kolitmara	Village	N-79° 10' 57.453"	E-21° 33' 30.881"
44		Kukda (Pench)	Village	N-79° 09' 50.266"	E-21° 31' 52.112"
45		Mahekpar	Village	N-79° 10' 18.516"	E-21° 32' 8.503"
46		Surera	Village	N-79° 10' 39.161"	E-21° 32' 44.174"
47		Banera	Village	N-79° 08' 24.822"	E-21° 32' 05.040"
48	<b>Parseoni</b>	Narhar	Village	N-79° 08' 34.792"	E-21° 32' 56.429"
49		Dhawalapur	Village	N-79° 06' 57.122"	E-21° 33' 05.071"
50		Sawangi	Village	N-79° 07' 09.305"	E-21° 32' 32.225"
51		Ghatkukda	Village	N-79° 04' 58.177"	E-21° 36' 00.751"
52		Ambazari	Village	N-79° 05' 49.149"	E-21° 31' 40.165"
53		Pathar	Rithi	N-79° 04' 48.837"	E-21° 30' 33.094"
54		Pardi	Village	N-79° 06' 47.086"	E-21° 30' 35.881"
55		Gargoti	Village	N-79° 06' 05.19"	E-21° 31' 22.996"
56		Saleghat	Village	N-79° 02' 34.164"	E-21° 31' 15.548"
57		Suwardhara	Village	N-79° 07' 23.040"	E-21° 28' 42.089"
58		Siladevi	Village	N-79° 08' 00.614"	E-21° 30' 22.259"
59		Chargaon	Village	N-79° 08' 17.755"	E-21° 28' 33.742"
60		Makardhokda	Village	N-79° 05' 29.551"	E-21° 30' 11.294"
61		Bhivgad	Sub Marge	N-79° 10' 28.171"	E-21° 28' 26.481"
62		Ghatpendri	Village	N-79° 09' 14.091"	E-21° 38' 56.891"
63		Surewani	Village	N-79° 07' 39.384"	E-21° 29' 31.226"

Annexure III

Map of proposed Eco-sensitive Zone along with latitude and longitude



**Eco-Sensitive for Pech National Park and Mansingdeo Wildlife Sanctuary**

GPS Coordinate of Proposed Eco-sensitive Zone		
S.No.	Latitude	Longitude
1	N-79 <sup>0</sup> 00' 22.44"	E-21 <sup>0</sup> 36' 16.53"
2	N-79 <sup>0</sup> 21' 53.68"	E-21 <sup>0</sup> 40' 32.73"
3	N-79 <sup>0</sup> 25' 07.37"	E-21 <sup>0</sup> 40' 43.40"
4	N-79 <sup>0</sup> 25' 34.35"	E-21 <sup>0</sup> 35' 53.60"
5	N-79 <sup>0</sup> 21' 07.88"	E-21 <sup>0</sup> 32' 57.15"
6	N-79 <sup>0</sup> 19' 27.86"	E-21 <sup>0</sup> 25' 47.62"
7	N-79 <sup>0</sup> 11' 21.85"	E-21 <sup>0</sup> 27' 04.50"
8	N-79 <sup>0</sup> 05' 49.50"	E-21 <sup>0</sup> 27' 28.50"
9	N-79 <sup>0</sup> 59' 30.55"	E-21 <sup>0</sup> 29' 23.34"

GPS Coordinate of Proposed Wildlife Sanctuary		
S.No.	Latitude	Longitude
A	N-79 <sup>0</sup> 05' 41.78"	E-21 <sup>0</sup> 36' 01.68"
B	N-79 <sup>0</sup> 09' 01.78"	E-21 <sup>0</sup> 39' 36.53"
C	N-79 <sup>0</sup> 13' 58.40"	E-21 <sup>0</sup> 43' 14.17"
D	N-79 <sup>0</sup> 19' 26.64"	E-21 <sup>0</sup> 41' 02.96"
E	N-79 <sup>0</sup> 22' 48.63"	E-21 <sup>0</sup> 40' 15.80"
F	N-79 <sup>0</sup> 23' 03.65"	E-21 <sup>0</sup> 36' 40.70"
G	N-79 <sup>0</sup> 18' 41.61"	E-21 <sup>0</sup> 36' 02.74"
H	N-79 <sup>0</sup> 13' 45.82"	E-21 <sup>0</sup> 32' 29.87"
I	N-79 <sup>0</sup> 18' 33.04"	E-21 <sup>0</sup> 29' 36.27"
J	N-79 <sup>0</sup> 13' 09.13"	E-21 <sup>0</sup> 27' 13.53"
K	N-79 <sup>0</sup> 11' 22.11"	E-21 <sup>0</sup> 33' 26.54"
L	N-79 <sup>0</sup> 06' 16.32"	E-21 <sup>0</sup> 32' 29.11"
M	N-79 <sup>0</sup> 02' 25.23"	E-21 <sup>0</sup> 28' 56.24"

**Annexure IV****Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-**

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: mention main noteworthy points. Attached minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record.  
[Details may be attached as Annexure]
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under Environment Impact Assessment notification, 2006.  
  
[Details may be attached as separate Annexure]
6. Summary of case scrutinised for activities not covered under Environment Impact Assessment notification, 2006.  
  
[Details may be attached as separate Annexure]
7. Summary of complaints lodged under section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.